न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज मनवी बनाम विद्या देवी मु.नं.– 14/25 किस्म – T.I	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/11/25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26.12.25 को पेश हो।	
26.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06.02.26 को पेश हो।	
06.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी नं. 01 की तलबी जरिये स्पीड पोस्ट तामील कराये एक महिने से अधिक समय हो चुका है। बरबक्त आवाज दिलवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी नं. 01 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.I. दिनांक 13.3.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
13.3.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र T.I. पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रा.पत्र T.I. पर वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया। प्रा.पत्र का एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	मनकी .... बनाम .... विद्या देवी मु.नं.– 14/25 किस्म – T.D.
	पत्रावली कैलाश कुमार रोस्टर कल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
14/2025	20.02.2025	13.03.2026

बउनवान

मनबी पत्नी स्व. दुर्गालाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थीया

बनाम

विद्या देवी पत्नी घनश्याम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजी खेवट खतौनी संख्या 214 के खसरा सं. 2944/2692 ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजी में अप्रार्थी का किसी प्रकार का सरोकार नहीं है लेकिन अप्रार्थी, वादी की गरीबी का फायदा उठाकर वादी की भूमि पर कब्जा करने तथा नाकाबिल काश्त कराने पर आमादा है तथा प्रार्थीया को धमकी दे रहे है कि हम प्रार्थीया को भूमि पर काश्त करने नहीं देंगे। दिनांक 05.01.2025 को अप्रार्थी विवादित आराजी पर अपने मददगारान को लेकर आयी तथा अप्रार्थी से कहने लगी कि हम तुम्हारी भूमि पर कब्जे करके तुमको बेदखल करके रहेंगे तथा तुमको काश्त नहीं करने देंगे। प्रार्थीया ने कहा कि यह भूमि हमारी खातेदारी की है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो अप्रार्थी आमादा फिसाद होने लगे। यदि अप्रार्थी अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर से सम्भव नहीं हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेगे जो बाय से बरबादी वादी होंगे। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थी स्वयं या अपने नौकर, एजेन्टों, घरवालों या अपने मददगारान के प्रार्थीया की उक्त विवादित आराजी पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने से, जबरिया खाम या पुख्ता निर्माण करने से, किसी दीगर को रहन व बय करने से, विवादित आराजी में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से पाबंद रहें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

2. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थी को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजी के प्रार्थीया दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है जबकि अप्रार्थी विवादित आराजी के खातेदार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में है। विवादित आराजी पर वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी या निर्माण किया जाता है तो तो प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों के उपयोग पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में पाया जाता है। आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजी को अप्रार्थी द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आदेश

6. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 2944/2692 रकबा 0.50 हैक्टे. के संबंध में अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी उक्त विवादित आराजी के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थीया के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थीया को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 13.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)